विभागीय प्रोन्निति सिमिति है तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12		13
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और प्र जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. निदेशक गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग 2. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग से संबंधित उप सचिव या निदेशक, जल संसाधन मंत्रालय	मुष्टि के लिए), —अध्यक्ष —सदस्य	प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
3. केन्द्रीय सकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से एक समूह 'क' अधिकारी	—सदस्य	
4. निदेशक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग	—सदस्य	

[फा. सं. 22/12/2010-जीएफसीसी]

जितेन्द्र चड्ढा, अवर सचिव

New Delhi, the 14th June, 2011

- G.S.R. 183.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, Ganga Flood Control Commission (Administrative Officer) Recruitment Rules, 1992, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Administrative Officer in the Ministry of Water Resources, Ganga Flood Control Commission, namely:—
- Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Ganga Flood Control Commission, Administrative Officer, Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2011.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the aforesaid Schedule.
 - 4. Disqualifications.—No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCH	FDI	П	U
		л	4

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non- selection	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	post 5	6
Administrative Officer	1*(2011) *Subject	General Central	Pay Band-2 Rs. 9300-	Selection	Not applicable
	to variation dependent	Service, Group 'B',	34800 plus Grade Pay		
	on workload.	Gazetted, Ministerial	Rs. 4600		

Educational and other qualification required for direct recruits

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the Period of probation, if any

....

0

9

Not applicable

7

Not applicable

case of promotees

Not applicable

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods In case of recruitment by Promotion or Deputation or Absorption, grades from which Promotion or Deputation or Absorption to be made

10

11

Promotion failing which by deputation (including short-term contract).

Promotion :

Head Clerk with five years regular service in the grade.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be the service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade or pay scale, and where this benefit will extend only for

(11)

the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

Deputation (including short term contract):

Officers of the Central Government or State Government or Union Territory or University or Autonomous Organisation or Public Sector Undertaking,—

- (a) (i) holding analogous post on regular basis; or
- (ii) with five years regular service in the post in pay band-2 Rs. 9300—34800 with grade pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or Department; and
- (b) having five years experience in administration, establishment and accounts matters.

Note 1:—The Departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2:—The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3:—The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

Note 4:—For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be the service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)		(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for consisting of :— 1. Member, Ganga Flood Control Commission 2. Deputy Secretary or Director, dealing with Ganga Flood Control Commission, Ministry of Water Resources	promotion) —Chairman —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract).

abs

fill

sho

(12)

3. A Group 'A' officer from any other Ministry or Department of the Central Government.

--Member

4. Director, Ganga Flood Control Commission

-Member

[F. No. 22/12/2010-E-III (GFCC)] JEETENDER CHADHA, Under Secy.

श्रम और रोजगार मंत्रालय [मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) का कार्यालय] नई दिल्ली, 10 जून, 2011

सा.का.नि. 184—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मुख्य श्रम आयुक्त संगठन के प्रादेशिक कार्यालय, (उच्च श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2007 को, जहां तक उसका संबंध उच्च श्रेणी लिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), संगठन के प्रादेशिक कार्यालयों में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), के प्रादेशिक कार्यालय, उच्च श्रेणी लिपिक, भर्ती नियम, 2011 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
 - 2. लागू होना.—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे ।
- 3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पर पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

			अनुसूची			
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड ' और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व के लिए आयु सीमा	व्यक्तियों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
उच्च श्रेणी लिपिक	163* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ''ग'' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200- 20200 रु.+ ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	

पती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहँताएं प्रोन्त व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	
(Δ)	(8)	(6),	
लागु नहीं होता	लागु नहीं होता	क्छ नहीं	

प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा मतीं की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोनित द्वारा मरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशातता

प्रोनिति,प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोनिति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(10)

 Ξ

ग्रोनितः

प्रतिशत रिक्तियां सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम 50 प्रतिशत रिक्तियां चयन सह ज्येष्ठता के आधार पर और 50 से मरी जाएंगी। प्रोनति द्वारा :

श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) संगठन में अवर श्रेणी लिपिक की श्रेणी टिप्पण : सीमित विभागीय परीक्षा के लिए पात्रता सेवा मुख्य में 5 वर्ष नियमित सेवा होगी।

अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में वेतन बैंड-1 में वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. में ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ-वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोनति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ट व्यक्तियों के संबंध में भी विचार क्रिया जाएगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी प्रोनित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस टिष्पण 2 : प्रोनित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा संमझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोनति समिति है तो उसकी सरचना	पतीं करने में किन परिस्थितियों में संघ लोब आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—	लागू नहीं होता ।

क सेवा

सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) 2

प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)

सदस्य

-अध्यक्ष

श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)

'n

-सदस्य

[सं. प्रशा-11/3(4)/2011]

अजय जोशी, प्रशासनिक अधिकारी

STORY RELIEF TO